कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

पत्रांक 2353/अधि0/दो–29/2022 दिनांक 20 जून, 2022

1– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2– समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः–उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व निर्गत कार्यालयादेश संख्या–1748/अधि0/दो–29/2022 दिनांक 13–05–2022 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–23(3) में विहित व्यवस्थानुसार परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों का विवरण विभागीय बैबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था।

2– उक्त के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–1859/अधि0/दो–29/ 2022 दिनांक 21–05–2022 के द्वारा प्रदेश के समस्त सम्भागीय एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों से उनके अधीनस्थ तैनात अधिकारियों/कार्मिकों को उक्त प्रदर्शित विवरण से सम्बन्धित आपत्तियॉ यदि कोई हो तो कार्यालय में उपस्थित अभिलेखों के अनुसार परीक्षण करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3– उक्त प्रदर्शित किये गये विवरणों के विरूद्ध कतिपय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी। उक्त आपत्तियों का निराकरण निम्नवत किया जाता हैं:–

(1) डॉ0 अनीता चमोला, सहायक परिवहन आयुक्त, मुख्यालय द्वारा उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार में दिनांक 01–01–2012 से 27–02–2014 तक की अवधि में कोटद्वार कार्यालय में एक मात्र अधिकारी होने के कारण उक्त अवधि को दुर्गम सेवा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–5 में विहित प्राविधानानुसार परिवहन आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सुगम एवं दुर्गम कार्यालयों/चैकपोस्टों का चिन्हांकन इस कार्यालय के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–997(i)/अधि0/दो–29/2018 दिनांक 28–03–2019 के द्वारा किया गया। वर्तमान में कार्यालयादेश संख्या–1176/अधि0/दो–29 /2022 दिनांक 31–03–2022 के द्वारा सुगम एवं दुर्गम कार्यालयों का चिन्हांकन किया गया है।

उक्त चिन्हांकनों में उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार को सुगम तथा प्रवर्तन दल, कोटद्वार को दुर्गम में चिन्हित किया गया है। डॉ0 अनीता चमोला, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड दिनांक 26–10–2009 से 27–02–2014 तक उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय,

कोटद्वार में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर तैनात रही थी। कार्यालयादेश संख्या–844 दिनांक 21–04–2015 द्वारा परिवहन कर अधिकारी–1 को अपने पदीय कर्तव्यों के साथ–साथ प्रवर्तन का कार्य सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है। दिनांक 21–04–2015 से पूर्व प्रवर्तन का कार्य भी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पदीय दायित्वों में मूल रूप से सम्मिलित था तथा डॉ0 अनीता चमोला के कोटद्वार में तैनाती के दौरान दिनांक 01–01–2012 से 27–02–2014 तक कोटद्वार कार्यालय एवं दल में कोई अन्य अधिकारी (परिवहन कर अधिकारी–1 एवं 2) तैनात भी नहीं था। उक्त के दृष्टिगत डॉ0 अनीता चमोला की उक्त अवधि की सेवा को श्री राजीव कुमार मेहरा, श्री गुरूदेव सिंह, श्री शैलेश तिवारी एवं श्री अरविन्द पाण्डेय की भांति दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए तदनुसार पात्रता सूची में संशोधन किया जा रहा है।

(2) श्री नन्द किशोर, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हल्द्वानी द्वारा उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर में दिनांक 09–07–2010 से 22–08–2012 तक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तैनाती के दौरान अन्य कोई प्रवर्तन अधिकारी तैनात न होने के दृष्टिगत उक्त अवधि को दुर्गम सेवा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–5 में विहित प्राविधानानुसार परिवहन आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सुगम एवं दुर्गम कार्यालयों/चैकपोस्टों का चिन्हांकन इस कार्यालय के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–997(i)/ अधि0/दो–29 /2018 दिनांक 28–03–2019 के द्वारा किया गया। वर्तमान में कार्यालयादेश संख्या–1176/अधि0/दो–29 /2022 दिनांक 31–03–2022 के द्वारा सुगम एवं दुर्गम कार्यालयों का चिन्हांकन किया गया है।

उक्त चिन्हांकनों में उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर को सुगम तथा प्रवर्तन दल, टनकपुर को दुर्गम में चिन्हित किया गया है। संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के दिनांक 09–07–10 से 22–08–12 तक उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर तैनात रहे थे। कार्यालयादेश संख्या–844 दिनांक 21–04–2015 द्वारा परिवहन कर अधिकारी–1 को अपने पदीय कर्तव्यों के साथ–साथ प्रवर्तन का कार्य सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है। दिनांक 21–04–2015 से पूर्व प्रवर्तन का कार्य भी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पदीय दायित्वों में मूल रूप से सम्मिलित था तथा श्री नन्दकिशोर के टनकपुर में तैनाती के दौरान दिनांक 09–07–10 से 22–08–12 तक टनकपुर कार्यालय एवं दल में कोई अन्य अधिकारी (परिवहन कर अधिकारी–1 एवं 2) तैनात भी नहीं था। उक्त के दृष्टिगत श्री नन्द किशोर की उक्त अवधि की सेवा को श्री राजीव कुमार मेहरा एवं श्री गुरूदेव सिंह की भांति दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए तदनुसार पात्रता सूची में संशोधन किया जा रहा है।

(3) श्री आनन्द कुमार जायसवाल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय द्वारा दिनांक 28–03–2017 से 12–06–2019 तक की निलम्बन अवधि को सेवारत न मानते हुए सेवावधि में संशोधन किये जाने का अनुरोध

किया गया है। उक्त के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सेवाकाल में निलम्बित अधिकारियों/कार्मिकों की निलम्बन अवधि को सुगम एवं दुर्गम सेवावधि में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(4) श्री विमल पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर में दिनांक 23–08–2012 से 17–12–2013 तक की तैनाती अवधि को दुर्गम सेवा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालयादेश दिनांक 22–08–2012 के द्वारा तत्समय परिवहन कर अधिकारी–1 के पद पर कार्यरत अधिकारियों श्री विमल पाण्डेय एवं श्रीमती पूजा नयाल को उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर में तैनात किया गया था। उक्त आदेश में श्री विमल पाण्डेय को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन हेतु तैनात किया गया था। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर सुगम क्षेत्र में चिन्हित है। उक्त के दृष्टिगत श्री विमल पाण्डेय की उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(5) श्री विपिन कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा शासनादेश दिनांक 28–10–2020 की प्रति संलग्न करते हुए गृह जनपद उधमसिंह नगर के स्थान पर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अभिलेखानुसार श्री विपिन कुमार सिंह की उक्त आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में उनका गृह जनपद गोरखपुर, उत्तर प्रदेश अंकित किया जाता है।

(6) श्री पंकज श्रीवास्तव, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा वर्तमान में कोटद्वार कार्यालय में परिवहन कर अधिकारी तैनात न होने के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन कर अधिकारी–2 को दुर्गम में प्रदर्शित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालयादेश दिनांक 21–04–2015 द्वारा परिवहन कर अधिकारी–1 को अपने पदीय कर्तव्यों के साथ–साथ प्रवर्तन का कार्य सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है। अतः श्री पंकज श्रीवास्तव की उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(7) श्री कुलवन्त सिंह, परिवहन कर अधिकारी, रूड़की द्वारा नवम्बर, 2005 से जून, 2009 तक कौड़िया चैकपोस्ट के साथ–साथ प्रवर्तन दल, पौड़ी, रूद्रप्रयाग एवं अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक ऋषिकेश प्रवर्तन दल के साथ–साथ उत्तरकाशी कार्यालय के प्रशासनिक एवं प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य किये जाने के दृष्टिगत उक्त सेवा को श्री विमल पाण्डेय एवं श्री ज्योतिशंकर मिश्र की भाँति दुर्गम सेवा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालयादेश दिनांक 31–12–2016 के द्वारा श्री विमल पाण्डेय को रामनगर कार्यालय के साथ–साथ अल्मोड़ा कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया तथा कार्यालयादेश संख्या–416/सा0प्रशा0/छः–3/2017 दिनांक 28–01–2017 के द्वारा श्री विमल पाण्डेय को निर्वाचन कार्य की महत्ता को ध्यान में रखकर अग्रिम आदेशों तक अल्मोड़ा कार्यालय के साथ–साथ रानीखेत का भी अतिरिक्त प्रभार प्रदान करते हुए श्रीमती अनिता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, काशीपुर को अग्रिम आदेशों तक अपने कार्य

के साथ–साथ रामनगर का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया। उक्त के दृष्टिगत श्री विमल पाण्डेय की दिनांक 01–01–2017 से 31–03–2017 तक अल्मोड़ा कार्यालय की तैनाती अवधि को दुर्गम में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के कार्यालयादेश दिनांक 30–10–2015 द्वारा श्री ज्योति शंकर मिश्र, परिवहन कर अधिकारी–1, ऋषिकेश को अपने कार्य के साथ–साथ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी के पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया था। तत्पश्चात इस कार्यालय के कार्यालयादेश दिनांक 11–03–2016 के द्वारा श्री ज्योति शंकर मिश्र को ऋषिकेश कार्यालय से टिहरी कार्यालय में स्थानान्तरित किया गया था। अतः उक्त के दृष्टिगत श्री ज्योति शंकर मिश्र की दिनांक 02–11–2015 से 11–03–2016 तक की अवधि को ऋषिकेश कार्यालय (सुगम) में प्रदर्शित किया गया है।

(8) श्री जितेन्द्र, परिवहन कर अधिकारी द्वारा पात्रता सूची में अपना नाम जितेन्द कुमार के स्थान पर जितेन्द्र एवं दिनांक 27–11–2021 से वर्तमान तक पुलभट्टा चैकपोस्ट पर दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यालयाभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त श्री जितेन्द्र की आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में उनका नाम श्री जितेन्द्र एवं दिनांक 27–11–2021 से वर्तमान तक पुलभट्टा चैकपोस्ट पर दर्शाया गया है।

(9) श्री महावीर सिंह, परिवहन कर अधिकारी, कुल्हाल चैकपोस्ट द्वारा विभाग में कार्ययोगदान की तिथि से सुगम की सेवा की गणना एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग में दिनांक 01–07–2003 से 05–12–2013 तक की सेवा को दुर्गम सेवा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पात्रता सूची में किसी भी अधिकारी एवं कार्मिक की प्रशिक्षण अवधि एवं परिवहन विभाग की सेवा से पूर्व अन्य विभागों में की सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। तद्नुसार श्री महावीर सिंह की उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(10) श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता, परिवहन कर अधिकारी, पुलभट्टा द्वारा दिनांक 11–07–2018 से 03–12–2018 तक रूद्रपुर चैकपोस्ट एवं दिनांक 04–12–2018 से वर्तमान तक पुलभट्टा चैकपोस्ट में दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री गुप्ता द्वारा तत्सम्बन्धी कार्यालयादेश उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत उनकी तैनाती अवधि सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया गया है।

(11) श्री राजेन्द्र विराटिया, परिवहन कर अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा वर्तमान तैनाती स्थल रूद्रप्रयाग कार्यालय में तैनाती की अवधि 05 माह तथा कुल दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष 01 माह 20 दिन होने के दृष्टिगत दुर्गम से सुगम हेतु प्रदर्शित सूची में अपना नाम सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु वर्तमान तैनाती स्थल पर 03 वर्ष की सेवा अथवा दुर्गम क्षेत्र में कुल 10 वर्ष की सेवा निर्धारित की गयी है। उक्त के दृष्टिगत श्री राजेन्द्र विराटिया की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(12) श्री गुरूमुख सिंह, परिवहन कर अधिकारी–2, टनकपुर द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति दिनांक 31–12–2025 होने के दृष्टिगत पात्रता सूची में अपने

के सम्मुख वरिष्ठ कार्मिक अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यालयाभिलेखानुार श्री गुरूमुख सिंह की सेवानिवृत्ति की तिथि 31–12–2025 होने के दृष्टिगत उनके नाम के सम्मुख वरिष्ठ कार्मिक अंकित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(13) श्री मनोज त्यागी, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उधमसिंहनगर द्वारा उधमसिंहनगर कार्यालय में तैनाती की तिथि दिनांक 22–11–2017 के स्थान पर दिनांक 11–12–2017 किये जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यालयाभिलेखानुसार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी के कार्यालयादेश दिनांक 05–12–2017 के द्वारा श्री मनोज त्यागी को दिनांक 05–12–2017 की अपराह्न में उधमसिंहनगर कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया गया है। उक्त के दृष्टिगत पात्रता सूची में श्री मनोज त्यागी की उधमसिंहनगर कार्यालय में तैनाती की तिथि 06–12–2017 प्रदर्शित की जाती है।

(14) श्री अजय कुमार आर्य, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), रूड़की द्वारा टिहरी कार्यालय में 03 माह 10 दिन की सेवा को दुर्गम सेवा में दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यालयाभिलेखानुसार श्री अजय आर्य की दिनांक 22–09–2021 से 30–12–2021 तक टिहरी कार्यालय की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(15) श्री प्रदीप रौथाण, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा रूद्रप्रयाग कार्यालय में दिनांक 26–05–2017 से 23–11–2017 तक की सेवा को श्री अजय कुमार आर्य, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) की भांति दुर्गम क्षेत्र में सम्मिलित करने के साथ ही कोटद्वार कार्यालय में योगदान की तिथि 24–11–2017 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पात्रता सूची में किसी भी अधिकारी एवं कार्मिक की प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित नहीं किया गया है। श्री अजय आर्य को कार्यालयादेश दिनांक 16–04–2016 से दिनांक 09–07–2020 तक कर्णप्रयाग कार्यालय में तैनात रहने के दृष्टिगत दुर्गम क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत श्री रौथाण की दिनांक 26–05–2017 से 23–11–2017 तक रूद्रप्रयाग कार्यालय में तैनाती सम्बन्धी आपत्ति अस्वीकार की जाती है तथा कोटद्वार कार्यालय में योगदान की तिथि 24–11–2017 अंकित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया गया है।

(16) श्री हरीश बिष्ट, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), देहरादून द्वारा दिनांक 15–05–2019 से 03–08–2019 तक चारधाम यात्रा हेतु देहरादून कार्यालय में तैनाती की सेवा को सुगम क्षेत्र में सम्मिलित न किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री हरीश बिष्ट दिनांक 15–05–2019 से आतिथि तक निरन्तर देहरादून कार्यालय में ही तैनात हैं। अतः श्री हरीश बिष्ट की उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(17) श्री प्रवीण कुमार, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 25–05–2017 से वर्तमान तक की अवधि को दुर्गम सेवा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि

पात्रता सूची में किसी भी अधिकारी एवं कार्मिक की प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि कार्यालयादेश दिनांक 23–05–2017 के द्वारा नवनियुक्त सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को रोटेशन के आधार पर चारधाम यात्रा हेतु तैनात किया गया था। तत्पश्चात कार्यालयादेश दिनांक 22–11–2017 के द्वारा पूर्व से तैनात/नवनियुक्त सम्भागीय निरीक्षकों को तैनाती प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में निम्नलिखित सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) की पात्रता सूची में तैनाती की तिथि 22–11–2017 के स्थान पर उनके दुर्गम क्षेत्र में कार्ययोगदान की तिथि से निम्नवत प्रदर्शित की जाती है:–

क्र0स0	कार्मिक का नाम	योगदान की तिथि
1	प्रवीण कुमार	23–11–17
2	विकास सिंह	25–11–17
3	रोमेश अग्रवाल	27–11–17
4	आनन्द वर्धन	01–12–17
5	राजेश कुमार	12–12–17
6	विनोद गुंज्याल	20–12–17

अतः उक्त के दृष्टिगत श्री प्रवीण कुमार की दिनांक 25–05–2017 से 22–11–2017 तक की अवधि को दुर्गम सेवा में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति अस्वीकार की जाती है तथा कार्यालयादेश दिनांक 22–11–2017 के क्रम में कार्ययोगदान की तिथि सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में उपरोक्तानुसार संशोधन किया गया है।

(18) श्रीमती सरिता बहुगुणा, प्रधान सहायक, देहरादून द्वारा श्री शैलेन्द्र बिष्ट, प्रधान सहायक की नियुक्ति की तिथि 20–12–2008 के स्थान पर ज्येष्ठता सूची के अनुसार 15–12–2008 किये जाने तथा हल्द्वानी सम्भाग में वर्ष, 2008 में कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति पूर्व में होने के दृष्टिगत उन्हें पात्रता सूची में देहरादून सम्भाग के कार्मिकों से पहले दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमती सरिता बहुगुणा एवं श्री शैलेन्द्र बिष्ट की ज्येष्ठता सूची में नियुक्ति की तिथि 15–12–2008 दर्शायी गयी है, जबकि कार्यालयाभिलेखों में श्री शैलेन्द्र बिष्ट की कुल्हाल चैकपोस्ट पर योगदान ग्रहण करने की तिथि 20–12–2008 है। उक्त के दृष्टिगत ही पात्रता सूची में श्री बिष्ट की कुल्हाल चैकपोस्ट पर तैनाती की तिथि 20–12–2008 अंकित की गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि हल्द्वानी सम्भाग में वर्ष, 2008 में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की प्रशिक्षण की अवधि को अन्य अधिकारी/कार्मिकों की भांति पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत श्रीमती सरिता बहुगुणा की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(19) श्री अमित कुमार गुप्ता, प्रधान सहायक द्वारा हल्द्वानी सम्भाग में वर्ष, 2008 में कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति पूर्व में होने के दृष्टिगत उन्हें पात्रता सूची में देहरादून सम्भाग के कार्मिकों से पहले दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हल्द्वानी सम्भाग में वर्ष, 2008

में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की प्रशिक्षण की अवधि को अन्य अधिकारी/कार्मिकों की भांति पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत श्री अमित गुप्ता की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(20) श्री नरेन्द्र मिया, प्रधान सहायक द्वारा पात्रता सूची में अपना गृह जनपद देहरादून के स्थान पर टिहरी अंकित किये जाने के अतिरिक्त हल्द्वानी सम्भाग में वर्ष, 2008 में कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति पूर्व में होने के दृष्टिगत उन्हें पात्रता सूची में देहरादून सम्भाग के कार्मिकों से पहले दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हल्द्वानी सम्भाग में वर्ष, 2008 में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की प्रशिक्षण की अवधि को अन्य अधिकारी/कार्मिकों की भांति पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत श्री नरेन्द्र मियां द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं सेवा–पुस्तिका के आधार पर उनका गृह जनपद देहरादून के स्थान पर टिहरी किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा शेष आपत्ति उपरोक्तानुसार अस्वीकार की जाती है।

(21) श्री चन्द्र प्रकाश, वरिष्ठ सहायक द्वारा अनुसेवक के पद पर अपनी नियुक्ति दिनांक 28–12–2006 को अल्मोड़ा अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री चन्द्र प्रकाश द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार उन्हें दिनांक 28–12–2006 से दिनांक 30–04–2007 तक अल्मोड़ा कार्यालय में प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए तदनुसार पात्रता सूची में संशोधन किया गया है।

(22) श्री तारा दत्त खोलिया, वरिष्ठ सहायक द्वारा दिनांक 03–04–2009 से 30–07–2009 तक की अवधि को बागेश्वर कार्यालय में दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री खोलिया द्वारा बागेश्वर कार्यालय में तैनाती सम्बन्धी कोई अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनकी आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(23) श्री रामचन्दर, वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक द्वारा 01–07–1992 से 31–03–1997 तक पिथौरागढ़ कार्यालय, दिनांक 31–07–1997 से 22–11–2001 तक हल्द्वानी (काठगोदाम) में दर्शाये जाने के साथ ही सेवानिवृत्ति की तिथि 30–06–2030 किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री रामचन्दर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार उनकी आपत्ति स्वीकार करते हुए तदनुसार पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(24) श्री विरेन्द्र सिंह टोलिया, वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक द्वारा पात्रता सूची में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि 31–01–2027 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यालयाभिलेखानुसार श्री टोलिया की आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में तदनुसार संशोधन किया जाता है।

(25) श्री आनन्द कुमार रतूड़ी, वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक, देहरादून द्वारा प्रवर्तन दल नैनीताल के गठन से पूर्व दिनांक 19–12–2009 से 29–10–2010 एवं प्रवर्तन दल, चकराता के गठन से पूर्व 30–10–2010 से 19–12–2013 तक प्रवर्तन दल, हल्द्वानी एवं प्रवर्तन दल, देहरादून की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के दृष्टिगत श्री

आनन्द रतूड़ी की उक्त तैनाती स्थलों पर की गयी सेवा को दुर्गम सेवा अवधि में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में तदनुसार संशोधन किया जाता है।

(26) श्री गोविन्द सिंह फर्त्याल, वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक, हल्द्वानी द्वारा प्रवर्तन दल नैनीताल के गठन से पूर्व दिनांक 18–12–2009 से नैनीताल प्रवर्तन दल के गठन दिनांक 01–01–2013 तक की अवधि दुर्गम में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के दृष्टिगत श्री फर्त्याल की उक्त तैनाती स्थलों पर की गयी सेवा को दुर्गम सेवा अवधि में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में तदनुसार संशोधन किया जाता है।

(27) श्री कपिल प्रसाद, प्रवर्तन सिपाही, देहरादून द्वारा प्रवर्तन दल चकराता (विकासनगर) के गठन से पूर्व (दिनांक 16–07–2010 से 17–12–2013 तक) प्रवर्तन दल, देहरादून की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के दृष्टिगत श्री कपिल प्रसाद की उक्त तैनाती स्थलों पर की गयी सेवा को दुर्गम सेवा अवधि में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में तदनुसार संशोधन किया जाता है।

(28) श्री राजेन्द्र सिंह, प्रवर्तन सिपाही द्वारा रूद्रपुर, चेकपोस्ट में कार्ययोगदान की तिथि 17–12–2009 के स्थान पर 21–12–2009 दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार उनकी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में तदनुसार संशोधन किया जाता है।

(29) श्री प्रेमपाल, प्रवर्तन सिपाही द्वारा दिनांक 14–02–2011 से दिनांक 28–04–2011 तक रूद्रप्रयाग कार्यालय में सम्बद्धीकरण की अवधि को दुर्गम सेवा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री प्रेमपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार उनकी रूद्रप्रयाग कार्यालय में कार्ययोगदान की तिथि 15–02–2011 एवं रूद्रप्रयाग कार्यालय से कार्यमुक्ति की तिथि 30–04–2011 की अवधि को दुर्गम सेवा में सम्मिलित किया जाता है।

(30) श्री विजयपाल, प्रवर्तन सिपाही द्वारा दिनांक 01–08–2018 से 03–01–2020 तक पिथौरागढ़ कार्यालय में की गयी सेवा को दुर्गम क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री विजयपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार उन्हें दिनांक 02–08–2018 से 03–01–2020 तक पिथौरागढ़ कार्यालय में तैनाती की अवधि को दुर्गम सेवा में सम्मिलित किया जाता है।

(31) श्री महेन्द्र सिंह, प्रवर्तन चालक द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि 30–06–2026 होने के दृष्टिगत पात्रता सूची में अपने नाम के सम्मुख वरिष्ठ कार्मिक अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री महेन्द्र सिंह की अपने नाम के सम्मुख वरिष्ठ कार्मिक अंकित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए तदनुसार संशोधन किया जाता है।

इस प्रकार उक्तानुसार प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जाता है।

4— इसके अतिरिक्त दुर्गम कार्यालय में तैनाती अवधि के दौरान 01 वर्ष में 01 माह से अधिक अवकाश का उपभोग करने वाले अधिकारियों/कार्मिकों तथा दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के दौरान सुगम क्षेत्र में सम्बद्ध कार्मिकों तथा वर्तमान में ऐसे अधिकारी/कार्मिकों की तैनाती अवधियों में संशोधन किया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों के निराकण एवं उक्त पत्र के क्रमांक—4 पर उल्लिखित व्यवस्था/आधार के पश्चात सम्बन्धित अधिकारियो/कमिकों की तैनाती स्थलों पर कार्यवधि, पात्रता विवरण एवं रिक्तियों/सम्भावित रिक्तियों की संशोधित सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्न यथोक्त

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या-2353 (1)/समदिनांकित्।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1— सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
2— डी०बी०ए०, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचनायें विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।